प्रेषक,

मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1- समस्त अधीक्षण अभियन्ता,
लघु सिंचाई वृत्त, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त अधिशासी अभियन्ता,
लघु सिंचाई खण्ड, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक 663 /ल.सिं./कार्य./ई-टेण्डर/2016-17 दिनांक 07-11 ~~अक्टूबर~~,2016

विषय - <u>टेण्डर प्रक्रिया के संबंध में।</u>

महोदय,

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग-2 के शासनादेश सं0 2858/62-2-2006-2/4(49)/2006 दिनांक 19.09. 2006 एवं शासनादेश सं0 3571/62-2-2007-2/4(49)/2007 दिनांक 13.12.2007 द्वारा टेण्डर प्रक्रिया के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश दिये गये है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत सस्टेनेबिलिटी मद की योजनाओं का कार्य ई-टेण्डरिंग से कराये जाने हेतु ग्राम्य विकास विभाग अनुभाग-5 के शासनादेश सं0 1718/अडतीस-5-2013-32सम/2013 दिनांक 08.07.2013 एवं शासनादेश सं0 8394-1/62-2-2015-2/4(8)/2014 दिनांक 08.1.2015 द्वारा रू0 10.00 लाख से ऊपर के समस्त प्रकार के कार्यों के टेण्डर में ई-टेण्डरिंग की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिये गये हैं।

यह संज्ञान में आया है कि शासनादेश सं. 2858/62-2-2006-2/4(49)/2006 दिनांक 19.09.2006 के क्रम में टेण्डर के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता की अध्यक्षता में गठित टेण्डर समिति द्वारा तकनीकी बिड खोलने के उपरान्त प्रतिभाग करने वाले निविदादाताओं को पात्र-अपात्र घोषित किया जाता है और तदोपरान्त पात्र निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोली जाती है। तकनीकी बिड के आधार पर निविदादाताओं को अपात्र करते समय समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में विस्तार से यह उल्लेख नहीं किया जाता है कि किन कारणों से निविदादाताओं को अपात्र घोषित किया गया है। यह प्रक्रिया शासन की पारदर्शिता नीति के अनुसार सही नहीं है। ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया में समस्त सूचनाएँ सम्बन्धित वेब-साइट पर लोड की जाती है। ऐसे निविदादाताओं जिन्हे अपात्र घोषित किया गया है, उन्हें यह जानने का स्पष्ट रूप से हक है कि उन्हें किन कारणों से अपात्र घोषित किया गया है।

अतः उक्त सम्बन्ध में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि अपात्र घोषित किये जाने वाले ऐसे सभी प्रकरणों में टेण्डर सम्बन्धी तकनीकी मूल्यांकन रिपोर्ट/तुलनात्मक चार्ट में भविष्य में स्पष्ट रूप से अपात्र घोषित करने का कारण अवश्य अंकित किया जाये और वेब-साइट पर लोड करने के उपरान्त ही वित्तीय कवर खोले जायें।

भवदीय,

7/11/2016

(पी0आर0 चौरसिया)
मुख्य अभियन्ता।

Swati
7.11.16

जारी
7.11.16